

रजिस्ट्रेशन संख्या :- R.N.I. 36355 / 79  
डाक पंजीकरण संख्या :- के पी सिटी- 67 / 2021-23

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट [www.dhr.gov.in](http://www.dhr.gov.in) लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गजट पढ़ने हेतु log in करें [www.behm.org.in](http://www.behm.org.in)

चिकित्सा-विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में  
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

**पाक्षिक**

**इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गजट**

पत्र व्यवहार हेतु पता :-  
सम्पादक  
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गजट  
127 / 204 'एस' जूही,  
कानपुर-208014

वर्ष -43 • अंक -4 • कानपुर 16 से 28 फरवरी 2021 • प्रधान सम्पादक - डा0 एम0 एच0 इदरीसी • वार्षिक मूल्य रु 100

# इलेक्ट्रो होम्योपैथी में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम चलाने का निश्चय अब नये नियम के अनुसार M.B.E.H. उत्तीर्ण G.E.H.S. M.D.E.H. उत्तीर्ण सीधे P.G.E.H. में प्रवेश के पात्र

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० द्वारा प्रदेश में स्नातक स्तरीय कोर्स संचालित करने का निर्णय किया गया है, यह निश्चय बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० की प्रबन्ध

कमेटी की बैठक दिनांक 10-2-2021 में किया गया। शासनादेश संख्या 1297/71-आयुष-1-2016-डब्लू-283/2014 में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में वही चिकित्सक/चिकित्सा प्रतिष्ठान

संचालित हो सकते हैं जहां न्यूनतम स्नातक स्तरीय अर्हताधारी होंगे, इस शासनादेश से स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश में अब स्नातक स्तर से कम अर्हताधारी सहजता से चिकित्सा व्यवसाय नहीं कर सकते। शासनादेश के आने के बाद बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० ने अपनी वार्षिक आम सभा दिनांक 25-03-2017 के द्वारा अनुमोदन कर G.E.H.S. तथा P.G.E.H

पाठ्यक्रम सत्र 2017-18 से ही प्रारम्भ कर दिया था जो लगातार संचालित हो रहा है पाठ्यक्रम को संचालित करने के साथ ही यह भी निश्चय किया गया था कि सन 1998 अथवा उसके पर्याय M.B.E.H. परीक्षा उत्तीर्ण अर्हर्थी G.E.H.S.के अन्तिम वर्ष में सीधे प्रवेश ले सकते हैं तथा इसी प्रकार M.D.E.H. उत्तीर्ण अर्हर्थी P.G.E.H. द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं, बैठक में यह भी निश्चय किया

गया कि M.B.E.H. पाठ्यक्रम में नामांकित अर्हर्थियों का कोर्स पूर्ण कराया जायेगा तथा वे पूर्व की भाँति प्रैक्टिस करते रहेंगे इसी प्रकार F.M.E.H. के पूर्व पंजीकृत चिकित्सक भी अनवरत प्रैक्टिस करते रहेंगे किन्तु स्नातक पाठ्यक्रम उन्हें निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। विदित हो कि बोर्ड के सभी पाठ्यक्रम शासकीय आदेशानुसार ही संचालित किये जाते हैं।



बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० की प्रबन्ध समिति के माननीय सदस्यगण शासनादेश संख्या 1297/71-आयुष-1-2016-डब्लू-283 पर चर्चा करते हुये।  
-छाया गजट



बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० की प्रबन्ध समिति के माननीय सदस्यगण शासनादेश संख्या 1297/71-आयुष-1-2016-डब्लू-283 पर चर्चा करते हुये-छाया गजट

# अर्थ तो सही निकालें



इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालन के सम्बन्ध में आये दिन नई-नई सूचनायें

प्रसारित की जा रही हैं जिसमें कभी भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तरविभागीय समिति का सन्दर्भ दिया जाता है, कभी माननीय न्यायालय के आदेश का उद्धरण किया जाता है तो कभी अनायास सरकारी ओदश की बात कह दी जाती है, इस प्रकार के समाचार प्रसारित करने वालों का उद्देश्य क्या है ? यह वही समझ सकते हैं परन्तु उनके इस प्रकार के मिथ्या प्रचार से वातावरण दूषित हो जाता है और लोगों में संशय भी उत्पन्न होता है जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, ऐसे समाचार प्रसारित करने वालों को क्या प्राप्त होता है ? यह तो वही जान सकते हैं किन्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कार्य करने वाले जरूर हतोत्साहित होते हैं और उनके मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो उचित नहीं है।

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तरविभागीय समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2021 के सन्दर्भ से यह निरन्तर प्रसारित किया जा रहा है कि यदि 6 माह में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तरविभागीय समिति को वांछित की पूर्ति नहीं की गयी तो प्रकरण **SHUTDOWN** कर दिया जायेगा, हमारे बीच के नेतागण **SHUTDOWN** का अर्थ यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि 6 माह में वांछित की पूर्ति नहीं की जाती है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बन्द कर दिया जायेगा और उनके यह कहने से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बीच उहापोह की स्थिति पैदा हो गयी है उनके इस कथन को हवा तब मिलती है जब लगातार देश में बैठकों का सिलसिला शुरू होता है और तो और बैठकों का विरोध करने के बजाय ऐसे लोगों पर उगाही करने का आरोप तक लगा दिया जाता है, जबकि उनके द्वारा इस तरह के कृत से वास्तविकता कोसों दूर होती है और भ्रम में भ्रम उत्पन्न होता रहता है इसलिए जिम्मेदार व्यक्तियों को चाहिये कि वह सीधे सादे व्यक्तियों को जो उन पर विश्वास करते हैं उन्हें वास्तविकता ही बतानी चाहिये जिससे किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न हो।

**SHUTDOWN का अर्थ कदापि यह नहीं है कि 6 माह में वांछित की पूर्ति नहीं की जाती है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बन्द कर दिया जायेगा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी अनन्तकाल तक चलती रहेगी मान्यता का प्रकरण एक अलग विषय है जब कभी भी एच्छिक एवं आवश्यक मापदण्डों की पूर्ति कर दी जायेगी तब इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता स्वतः प्राप्त हो जायेगी, किसी भी शब्द का गलत अर्थ निकालकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना कहां तक उचित है ! और इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये एक गलत अर्थ क्या परिणाम दे सकता है इसका अनुमान गलत अर्थ लगाने वाले कभी नहीं जान सकते हैं।**

समाचार प्रसारित करने वाले भिन्न नहीं हैं कि उनके इस कृत का क्या परिणाम होगा या उससे कितने लोगों पर इसका दुष्परिणाम पड़ेगा, समाचार प्रसारित करने वालों को केवल समाचार प्रसारित करने से मतलब है, सामाचार सामायिक है या पुरातन मानव प्रवृत्ति है कि वह अपने सामने आने वाले समाचार को अवश्य देखता है, समाचार क्यों प्रसारित किया गया है वह इस बारे में नहीं सोचता है, जब उसके परिणाम का आकलन करता है तब मालूम होता है कि सामाचार प्रसारित करने वाले का कोई विशेष उद्देश्य है जिसके कारण उसने पूरा एवं भ्रामक समाचार प्रसारित किया है और उसने समाचार में तोड़ मरोड़ भी किया है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सकारात्मक समाचारों की कमी नहीं है, जिनको प्रसारित कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हर स्तर के लोगों को उत्साहित किया जा सकता है अस्तु जिम्मेदार लोगों को चाहिए कि भ्रामक व नकारात्मक समाचारों से परहेज करें तथा वास्तविक समाचार ही प्रसारित करें जो अर्थपूर्ण भी हों तथा अन्तरविभागीय समिति द्वारा जारी कार्यवाहियों के प्रतिकूल न हो, क्योंकि भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तरविभागीय समिति द्वारा अनेकों बार यह कहा जा चुका है कि सरकार का इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रोकने का कोई विचार नहीं है।

उत्तर प्रदेश शासन

आयुष अनुभाग-1

संख्या- 1297 / 71-आयुष-1-2016-डब्लू-283 / 2014

लखनऊ दिनांक 03 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार के सम्बन्ध में रोगी के परिवारजनों को उपचार के उपरान्त उपचार सम्बन्धी विभिन्न चिकित्सकीय जाँचों एवं अभिलेख उपलब्ध कराये जाने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-4636 / 71- आयुष- 1-2014 -डब्लू-283 / 2014 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के बिन्दु संख्या-7 जिसका उल्लेख तालिका के कालम 2 में दिया गया है के स्थान पर तालिका के कालम-3 में अंकित विवरण को पढ़े जरने के आदेश कार्यालय ज्ञाप संख्या 4445 / आयुष-1-2014-डब्लू-283 / 2014 दिनांक 29 जनवरी, 2016 के द्वारा दिये गये थे। व्यवहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत वर्तमान कार्यालय ज्ञाप संख्या-4636 / 71-आयुष-1- 2014-डब्लू-283 / 2014 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के बिन्दु संख्या 7 जिसका उल्लेख तालिका के कालम-2 में दिया गया है के स्थान पर तालिका कालम-4 में अंकित विवरण को पढ़ा जाये।

क्रम सं०	पूर्व व्यवस्था	कार्यालय ज्ञाप संख्या-4445 / 71-आयुष -1- 15-डब्लू-283 / 2014 दिनांक 29.01.2014 द्वारा संशोधित व्यवस्था	वर्तमान संशोधित व्यवस्था
1	2	3	4
1	कोई भी निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान अथवा चिकित्सक चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी/ ज़िला होम्योपैथिक अधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीकरण आवश्यक रूप से करायेंगे एवं उन सभी निमों एवं शर्तों का शत- प्रतिशत पालन करेंगे जो उनको दी जायें।	कोई भी निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान अथवा चिकित्सक चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आधुनिक चिकित्सा हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा हेतु क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा हेतु ज़िला होम्योपैथिक अधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीकरण आवश्यक रूप से करायेंगे एवं उन सभी निमों एवं शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करेंगे जो उनको दी जायें।	(1) चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कोई भी निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान यदि वे आधुनिक चिकित्सा पद्धति (एलोपैथ) से सम्बंधित हैं तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीकरण आवश्यक रूप से करायेंगे। (2) चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कोई भी निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान यदि वे आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति से सम्बंधित हैं तो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीकरण आवश्यक रूप से करायेंगे। (3) चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कोई भी निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान यदि वे होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से सम्बंधित हैं तो ज़िला होम्योपैथिक अधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीकरण आवश्यक रूप से करायेंगे। (4) चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कोई भी निजी चिकित्सक यदि वे आधुनिक चिकित्सा पद्धति (एलोपैथ) विधा में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीकरण आवश्यक रूप से करायेंगे। (5) चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कोई भी निजी चिकित्सक यदि वे आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धति में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर है तो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीकरण आवश्यक रूप से करायेंगे। (6) चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कोई भी निजी चिकित्सक यदि वे होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर है तो ज़िला होम्योपैथिक अधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीकरण आवश्यक रूप से करायेंगे। उपरोक्त सभी निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान अथवा निजी चिकित्सक उन सभी नियमों एवं शर्तों को शत-प्रतिशत पालन करेंगे जो उनको दी जायें।

## पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र (प्रारूप)

(समस्त अधिकृत इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों एवं प्रतिष्ठानों हेतु)

सेवा में,  
प्रभारी अधिकारी,  
जिला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय,  
जनपद .....

उत्तर प्रदेश

महोदय,

मैंसे क्लीनिक/चिकित्सा प्रतिष्ठान, जिसका विवरण निम्नवत है, का पंजीकरण करने का कष्ट करें :-

1. चिकित्सा प्रतिष्ठान का प्रकार :-

(अ) चिकित्सालय, निजी चिकित्सक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने हेतु।

(ब) अभिष्ठान व्यक्तियुक्त अथवा फर्म, सोसायटी, ट्रस्ट, प्राइवेट लि0 या पब्लिक लि0 कम्पनी द्वारा संचालित है -

2. क्लीनिक / प्रतिष्ठान का पता :-

3. प्रदात चिकित्सा सेवाएँ :-

4. पंजीकृत एवं अधिकृत चिकित्सक / चिकित्सकों का विवरण :-

(जो कार्यरत/नियुक्त/लगे हुये हैं।)

क्रम सं0	नाम	पिता का नाम	योग्यता	संस्थान का नाम	पंजीयन सं0	अंशकालिक/पूर्णकालिक

5. कार्यरत पैग मेडिकल्स के नाम :-

क्रम सं0	नाम	पिता का नाम	योग्यता	संस्थान का नाम	पंजीयन सं0	अंशकालिक/पूर्णकालिक

संलग्नक :-

1. योग्यता (डिग्री, डिप्लोमा/प्रमाण पत्र) एवं पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व. प्रमाणीत प्रतियां।

2. क्लीनिक/चिकित्सा प्रतिष्ठान को संचालित करने वाले अथवा संस्थान के प्रभारी का सम्बंधन में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र।

दिनांक :

स्थान :-

दूरभाष/मोबाइल नं0 :-

ई-मेल :-

फैक्स नं0 :-

आवेदक के हस्ताक्षर

(चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने वाले/संस्थान के प्रभारी)

नाम :-

पता :-

## शपथ-पत्र

(नोटरी द्वारा प्रमाणीत)

यहाँ पर शपथी  
अपनी नवीनतम  
फोटो चिपकायें

समक्ष

प्रभारी अधिकारी,

जिला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय,

जनपद

उत्तर प्रदेश

वर्ष.....माह.....दिन.....

मैं.....आयु :-

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवासी

का हूँ तथा शपथपूर्वक निम्न बयान करता / करती हूँ

:-

1- यह कि शपथी बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 से एक रजिस्टर्ड इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक है जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 .....

तथा दिनांक .....तक वैध है पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणीत छाया प्रति संलग्न है।

2- यह कि शपथी अस्पताल/क्लीनिक/प्रतिष्ठान में पूर्णकालिक/अंशकालिक/ऑन कॉल कार्यरत है।

3- यह कि शपथी किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी/अन्य प्रतिष्ठान में पूर्णकालिक/अंशकालिक/ऑन कॉल कार्यरत नहीं है (यदि कार्यरत है तो सम्पूर्ण विवरण दें) .....

.....

4- यह कि शपथी उपरोक्त प्रतिष्ठान से जब भी कार्य छोड़ेगा इसकी सूचना प्रतिष्ठान के स्वामी तथा आपके कार्यालय में एक माह पूर्व दे देगा/देगी।

5- यह कि शपथी बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 द्वारा जारी आचार संहिता का पालन करेगा/करेगी तथा उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2914/पांच-6-10-23 रिट/11 दिनांक 04 जनवरी, 2012 एवं शासनादेश संख्या 2241/पाँच-6-2015-103 जी/15 दिनांक 18 सितम्बर, 2015 तथा आयुष अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या 1297/71-आयुष-1'2016-डब्ल्यू-283/2014 दिनांक 03 अगस्त, 2016 का पूर्ण अनुशासन के साथ पालन करेगा/करेगी।

6- यह कि शपथी ड्रग्स एवं मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का उल्लंघन कर ऐसा प्रचार नहीं करेगा/करेगी जिससे जनता गुमराह हो।

**बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र०**

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयभारत सरकार द्वारा आदेश प्राप्त, इहमाई द्वारा अनुमोदित)

8— लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ—226001

प्रशा० कार्यालय : 127/204 "एस" जूही, कानपुर—208014

website- www.behm.org.in

Email: registrarbehmup@gmail.com

**प्रवेश सूचना****F.M.E.H.**

दो वर्ष (चार सेमेस्टर) – इण्टरमीडियेट अथवा समकक्ष

**G.E.H.S.**

चार वर्ष+(1 वर्ष इन्टर्नशिप) – 10+2 जीव विज्ञान अथवा समकक्ष

**P.G.E.H.**

दो वर्ष – G.E.H.S अथवा चिकित्सा स्नातक

**C.E.H.**

एक वर्ष – हाई स्कूल अथवा समकक्ष

**A.C.E.H.**

एक सेमेस्टर – किसी भी चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम दो वर्ष का पाठक्रम उत्तीर्ण (इलेक्ट्रो होम्योपैथी 30 अप्रैल, 2004 से पूर्व/पैरा मेडिकल /किसी राजकीय चिकित्सा परिषद द्वारा पंजीकृत/ सूचीकृत चिकित्सक)

विस्तृत जानकारी हेतु बोर्ड की अधिकृत संस्थाओं से सम्पर्क करें  
अथवा [www.behm.org.in](http://www.behm.org.in) पर log in करें।**LIST OF AUTHORISED INSTITUTIONS**

Code	Name of Institute Address & District	Name of Principal	Name of Manager & Mobile No.
1	Ashish Electro Homeopathic Medical Institute, Chajlapur, Po: I.T.I., Door Bhash Nagar, Raibareli	Dr. P. N. Kushwah	Dr. P.N. Kushwaha , 9415177119
3	Awadh Electro Homeopathic Medical Institute, Shri Om Sai Dham, Indrapuri Colony, Sitapur Road, Lucknow	Dr. R. K. Kapoor	Smt. Sunita Kapoor , 8299165010
4	Indira Gandhi Electro Homeopathic Medical Institute, Near Bhagva Chungi, Naya Mal Godam Road, Pratapgarh	VACANT	VACANT
5	Bhagwan Mahaveer Electro Homeopathic Institute, Pan Dareeba, Jaunpur	Dr. Pramod Kumar Maurya	Smt. Sushila Maurya , 9451162709
6	Maa sarju Devi Electro Homeopathic Medical Institute, 2537 - Mishrana, Lakhimpur	Dr. R. K. Sharma	R.K. Sharma , 8115545675
7	Mahoba Electro Homeopathic Institute, Behind Block Office Subhash Nagar, MAHOBA-210427	Dr. Ajai Barsaiya	Smt. Rajni Awasthi , 842396191
11	Chandpar Electro Homeopathic Medical Institute, Anjan Shaheed, Azamgarh	Dr. Mushtaq Ahmad	Dr. Iftekhar Ahmad, 9415358163
13	Azad Electro Homeopathic Medical Institute, Kintoor, Barabanki	Dr. Habib-ur- Rahman	Dr. Habib-ur-Rehman, 8052791197
14	Fatehpur Electro Homeopathic Medical Institute, Deviganj, Fatehpur	VACANT	Dr. Afzal Ahmad Kazmi, 9450332981
15	Electro Homeopathic Medical Institute , Mahmanshah, Near Charkhamba, Shahjahan pur	Dr. Ammar-Bin-Sabir	Dr.S.A. Siddique, 9336034277
16	Shahganj Electro Homeopathic Medical Institute , Behind Mahila Hospiital, Dihawa Bhadi, Shahganj, Jaunpur	Dr. S. N. Rai	Dr. Rajendra Prasad, 9450088327
17	Prema Devi Electro Homeopathic Medical Institute, Siddhath Children Campus, Arya Nagar, Siddharth Nagar	Dr. Ved Prakash Srivastav	Dr. V.P. Srivastav 9415669294
18	Bundel Khand Electro Homeopathic Medical Institute, Campus Shri Laxhan Smarak Kanya Jr.H. School 1363 Y-4 Dhobin Pulia, Hanumant Vihar, Naubasta KANPUR	Dr. Pramod Kumar singh 9307199994	Mr. Rahul Bajpai, 9650466359

**LIST OF AUTHORISED STUDY CENTRES**

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
51	Dr. Adil M. Khan	Parsauni Kala, Padrauna	KUSHI NAGAR	9938131988	WhatsApp No: 7985063850
52	Dr. Pradeep Kumar Srivastava	8/366 Tube Well Colony	DEORIA	9415826491	
53	Dr. Bhoop Raj Shrivastava	120-Basheerganj	BAHRAICH	9451786214	
55	Dr. Ayaz Ahmad	Beneath K.G.S. Gramir Bank, Walidpur	MAU	9305963908	
56	Dr. Gaya Prasad	Aarti Electro Homeopathic Study Centre, Barkhera, Kalpi	JALAUN	8874429538	
57	Dr. N. Bhushan Nigam	B.K.E.H. Study Centre, Patkana	HAMIRPUR	9889426312	
59	Dr. Mohammad Israr Khan	Araw Road, Sirsaganj	FIROZABAD	9634503421	
60	Dr. Mohd. Akhlak Khan	128- Katra Purdal Khan	ETAWAH	6395361883	
61	Dr. Shiv Kumar Pal	Prem Nagar, Dak Banglow Bye Pass Road	FIROZABAD	9027342885	
62	Dr. Pundreek Tripathi	Hameed Nagar Ward No-3, Nautanwa	MAHARAJGANJ	7398941680	mpr31@gmail.com
63	Dr. Ram Autar Kushwaha	Kushwaha Electro Homeopathic Clinic & Study centre	KANPUR	9793261649	

**LIST OF AUTHORISED STUDY/GUIDENCE CENTRES OTHER STATE**

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
81	Dr. Devendra Singh	374/4 Shahid Bhagat Singh Colony, Karawal Nagar	DELHI-110090	9873609565	
82	Dr. Pankaj Kumar	Kaithi P.S. Chautham	KHAGARIA-851201	7549417934	
83	Dr. Vikas	303/6 Gyan Nagar, Purkhas Road	SONIPAT-131001	9639300426	7302653934

**LIST OF AUTHORISED EXAMINATION CENTRES**

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
91	Dr. P. K. Ragahav	Khurja	BULAND SHAHAR	9837897021	
92	Dr. S.K. Saxena	Parker College Road	MORADABAD	8171869605	
93	Dr. Rajesh	Garh Mukteshwar	HAPUR	8958961964	
94	Registrar B.E.H.M.U.P.	127/204 "S" Jui	KANPUR-208014	0512-2970704	registrarbehmup@gmail.com